संख्या– 2365 /38–7–2010–8आर.एस.बी..वाई/08

प्रेषक,

आर0पी0सिंह,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7

लखनऊः दिनांकः 15 अप्रैल, 2010

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कियान्वयन हेतु राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के समस्त जनपदों में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार और उनके परिवार के सदस्य(पांच की इकाई) की चिकित्सा हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष 25 प्रतिशत राज्यांश राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से प्रथम त्रैमास(अप्रैल से जून, 2010) के व्यय हेतु रू0 38,78,25,000/–(रू0 अड़तीस करोड़ अठहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(1) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का आहरण नियमानुसार 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है फिर भी धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त आहरण नहीं किया जायेगा। कोषागार से धनराशि के आहरण में फेजिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, जो सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

(3) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(4) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश, निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये।

(5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अंत में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।